

न्यायालय संभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बईजलास राजेन्द्र सिंह शेखावत आई0ए0एस0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्या : 67/2020/अपील/एलआरएक्ट/कोर्ट कैंप बून्दी

दायरा दिनांक : 07.08.2020

अन्तर्गत धारा : 76 राज0भू राजस्व अधि0, 1956

उनवान

गोविन्द आत्मज सरवन जाति खाती निवासी ग्राम खडीबारां तहसील एवं जिला बून्दी

....अपीलांट

बनाम

राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार बून्दी जिला बून्दी (राज0)

.....रस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री विनय सकसैना अभिभाषक –अपीलांट
पेरोकार सरकार – रेस्पो0

::निर्णय::

दिनांक 15.04.2025

अपीलांट ने न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (संक्षेप में प्रथम अपीलीय न्यायालय) द्वारा प्रकरण सं0 216/अपील/2018 बउनवान गोविन्द बनाम राज0 सरकार में पारित निर्णय दिनांक 03.06.2019 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) के विरुद्ध यह द्वितीय अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

- 1 प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय तहसीलदार, बून्दी द्वारा प्रकरण संख्या 1039/2018 धारा 22(2) राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 के अन्तर्गत अपीलार्थी को ग्राम खडीपुरा के आराजी खसरा संख्या 131 रकबा 5.02 बीघा भूमि किस्म गै0मु0 तलाई पर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर फसल चना की काश्त करने पर पर अपीलार्थी को पश्चात्वर्ती अतिक्रमी मानते हुए निर्णय दिनांक 27.02.2018 से 638/- रुपये शास्ति राशि से दण्डित कर अतिक्रमित भूमि से बेदखल कर तीस दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किये जाने का निर्णय पारित किया गया। जिसके विरुद्ध प्रथम अपील धारा 75 एलआरएक्ट में न्यायालय जिला कलक्टर, बून्दी के यहां अपीलांट द्वारा अपील पेश करने पर अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी प्रमाणित होने मानते हुए निर्णय दिनांक 03.06.2019 से अपील खारिज की गई।
- 2 उक्त दोनों निर्णय अधीनस्थ न्यायालय से व्यथित होकर अपीलांट ने द्वितीय अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 अन्तर्गत न्यायालय हाजा में अपील पेश कर कथन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

दिये बिना एक तरफा निर्णय तहसीलदार बून्दी द्वारा पारित कर दिया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित व विधि के सर्व मान्य सिद्धान्तों के विपरित होने के कारण निर्णय दिनांक 03.06.2019 निरस्त किये जाने योग्य है। उक्त निर्णय में अपीलान्ट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी माना गया है जबकि पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने का कोई दस्तावेज पत्रावली में मौजूद नहीं है, अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी नहीं है। अपीलान्ट का उक्त भूमि पर कोई कब्जा नहीं है तथा अपीलान्ट ने कब्जा छोड़ दिया है एवं भविष्य में उक्त भूमि पर कब्जा नहीं करेंगे, इस बाबत अपीलान्ट द्वारा माननीय न्यायालय में शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है। अपीलान्ट का उक्त भूमि पर मात्र क्यास के आधार पर अतिक्रमी मानते हुये उक्त निर्णय पारित करने में भारी कानूनी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 03.06.2019 में हल्का पटवारी ने पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने का कोई दस्तावेज संलग्न नहीं है एवं तहसीलदार बून्दी का निर्णय दिनांक 27.02.2018 एक तरफा एवं शीघ्रता से पारित किया है। अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बून्दी से कोई नोटिस व सूचना प्राप्त नहीं हुई अपीलान्ट को बिना सुने ही तहसीलदार बून्दी ने निर्णय दिनांक 27.02.2018 को एक पक्षीय रूप से अपीलान्ट को बिना सुने न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरित जाकर पारित कर दिया जो निरस्तनीय है। अतः अपील स्वीकार की जाकर न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी का निर्णय दिनांक 03.06.2019 एवं न्यायालय तहसीलदार, बून्दी का निर्णय दिनांक 27.02.2018 निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया।

- 3 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पों को जरिये नोटिस/सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण में बहस विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट एवं रेस्पों पैरोकार सरकार सुनी गई।
- 4 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील में उल्लेखित तथ्यों के परिपेक्ष्य में कथन किया कि निर्णय दोनों अधीनस्थ न्यायालय कानून के खिलाफ होने से निरस्तनीय है क्योंकि अधीनस्थ न्यायालयों ने अपीलान्ट को सुनवायी व जवाबदेही का बिना समुचित अवसर दिये उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलान्ट का अतिक्रमित उक्त आराजी पर मौके पर कोई कब्जा नहीं है। अधीनस्थ न्यायालयों ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया है कि अपीलान्ट का मौके पर अतिक्रमित आराजी पर कब्जा है या नहीं है तथा सजायाब कर दिया है, जो न्याय के स्वीकृत सिद्धान्तों के विपरित होने से उक्त निर्णय काबिल निरस्तनीय है। अपीलान्ट ने कब्जा छोड़ दिया है एवं भविष्य में उक्त भूमि पर कब्जा नहीं करेंगे, इस बाबत अपीलान्ट माननीय न्यायालय में शपथ-पत्र प्रस्तुत कर रहा है। अतः अपील स्वीकार कर निर्णय दोनों अधीनस्थ न्यायालय निरस्त करने का अनुरोध किया।
- 5 रेस्पों पैरोकार सरकार ने अपीलान्ट के कथन का खण्डन करते हुए जाहिर किया कि ग्राम खड़ीपुरा के आराजी खसरा संख्या 131 रकबा 5.02 बीघा भूमि किस्म गै0मु0 तलाई पर पर अनाधिकृत रूप से राजकीय भूमि पर अतिक्रमण कर फसल चना काश्त करने पर अपीलार्थी को पश्चातवर्ती अतिक्रमी

अधीनस्थ अपीलान्ट
जय प्रकाश जय


मानते हुए निर्णय दिनांक 27.02.2018 से 638/- रुपये शास्ति से दण्डित कर अतिक्रमित भूमि से बेदखल कर तीस दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किये जाने का निर्णय पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्यायोचित है। प्रकरण में प्रथम अपीलीय न्यायालय जिला कलक्टर, बून्दी द्वारा अपीलांत को सुना जाकर निर्णय दिनांक 03.06.2019 पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बून्दी द्वारा अपीलान्त को सुनवाई हेतु विधिवत नोटिस दिया जाकर आदेश दिनांक 27.02.2018 पारित किया है। अपीलान्त ने बिना किसी विधिक अधिकार के जिस भूमि पर अतिक्रमण किया है वह गै0मु0 तलाई किस्म भूमि है, उक्त भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के तहत आवन्तन/नियमन हेतु प्रतिबन्धित है। अतः अपील अस्वीकार की जाकर खारिज की जावे।

- 6 हमने अपील पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत अपील प्रार्थना-पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम के साथ अपील को अवधि मध्य माने जाकर गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करने का अनुरोध किया। रेस्पो0 पेरोकार सरकार द्वारा प्रार्थना-पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में वर्णित तथ्यों का खण्डन नहीं किया गया और न ही खण्डन में कोई प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया। लिहाजा इस स्टेज पर प्रकरण में अपीलांत द्वारा धारा-5 प्रार्थना-पत्र में विवेचित तथ्यों के परिपेक्ष्य में न्यायहित में मियाद कण्डोन करने के उपरांत अपील अपीलांत को गुणावगुण पर सुना जाना उचित प्रकट होता है।
- 7 हमने अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांत एवं रेस्पो0 पेरोकार सरकार पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध आधार अभिलेख एवं आलौच्य जेरअपील निर्णय के अवलोकन से प्रकट होता है कि न्यायालय तहसीलदार, बून्दी द्वारा प्रकरण संख्या 1039/2018 धारा 22(2) राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 के अन्तर्गत अपीलार्थी को ग्राम खड़ीपुरा के आराजी खसरा संख्या 131 रकबा 5.02 बीघा भूमि किस्म गै0मु0 तलाई पर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर फसल गेहूं की काश्त करने पर अपीलार्थी को पश्चात्वर्ती अतिक्रमी मानते हुए निर्णय दिनांक 27.02.2018 से 638/- रुपये शास्ति राशि से दण्डित कर अतिक्रमित भूमि से बेदखल कर तीस दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किये जाने का निर्णय पारित किया गया। जिसके विरुद्ध प्रथम अपील धारा 75 एलआरएक्ट में न्यायालय जिला कलक्टर, बून्दी के यहां अपीलांत द्वारा अपील पेश करने पर अपीलांत को पश्चात्वर्ती अतिक्रमी प्रमाणित होना मानते हुए निर्णय दिनांक 03.06.2019 से अपील खारिज की गई। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलार्थी का मुख्य तर्क है कि परीक्षण न्यायालय ने अपीलांत को सुनवायी एवं जवाबदेही का बिना समुचित अवसर दिये निर्णय पारित किया है। अपीलांत का प्रश्नगत आराजी पर मौके पर कोई कब्जा नहीं है। इस तथ्य पर गौर किये बिना ही सजायाब करने का निर्णय पारित कर दिया जो न्याय के सिद्धान्तों के विपरित है। अपीलांत के उपरोक्त तर्कों के संबंध में अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध आधार अभिलेख एवं जेरअपील निर्णय के अवलोकन पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि न्यायालय तहसीलदार बून्दी द्वारा अपीलांत द्वारा ग्राम

संलग्नक 3
कोय संभाग, कोय

खड़ीपुरा के आराजी खसरा संख्या 131 रकबा 5.02 बीघा भूमि किस्म गै0मु0 तलाई पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर फसल चना काशत करने पर अपीलार्थी को विधिवत् सुनवाई एवं जवाबदेही का समुचित अवसर प्रदान करने हेतु राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22(3) के अन्तर्गत नोटिस दिया जाना निर्णय दिनांक 27.02.2018 अनुसार स्पष्ट किया गया है। साथ ही अतिक्रमी द्वारा सम्वत् 2074 मौसम खरीफ में भी ग्राम खड़ीपुरा के आराजी खसरा संख्या 131 रकबा 5.02 बीघा भूमि किस्म गै0मु0 तलाई पर अतिक्रमण कर कब्जा काशत करने पर पूर्व में न्यायालय तहसीलदार, बून्दी के पत्रावली सं0 3365/17 निर्णय दिनांक 07.11.2017 अनुसार पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने से अपीलांट को निर्णय दिनांक 27.02.2018 से 638/- रुपये शास्ति से दण्डित कर अतिक्रमित भूमि से बेदखल कर तीस दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किये जाने का निर्णय पारित किया गया। इसके पश्चात प्रथम अपील अपीलांट द्वारा न्यायालय जिला कलक्टर, बून्दी के यहां प्रस्तुत करने पर प्रथम अपीलीय न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी द्वारा अपीलांट को विधिवत् सुनवाई एवं जवाबदेही का समुचित अवसर प्रदान करते हुए अपील अपीलांट निर्णय दिनांक 03.06.2019 से खारिज की गई है। इस प्रकार अपीलांट के इस कथन की पुष्टि नहीं होती है कि अपीलांट को बिना सुनवाई एवं जवाबदेही का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निर्णय पारित किया गया है। साथ ही अतिक्रमित भूमि राजस्थान काशतकारी अधिनियम की धारा 16 के तहत प्रतिबंधित होने से तथा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी. सिविल जनहित याचिका सं0 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 02.08.2024 की पालना में उक्त प्रतिबंधित भूमियों को अतिक्रमण मुक्त करवाया जाना आवश्यक प्रकट होने से प्रथम अपीलीय न्यायालय जिला कलक्टर, बून्दी द्वारा निर्णय दिनांक 03.06.2019 से अपील अपीलांट खारिज की गई। इस प्रकार उपरोक्त विवेचनानुसार प्रथम अपीलीय न्यायालय जिला कलक्टर, बून्दी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बून्दी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.02.2018 अनुसार अपीलांट के पश्चातवर्ती अतिक्रमी की पुष्टि होने के उपरांत अपील खारिज की गई है, जो प्रकरण में तथ्यों का समुचित परीक्षण कर एवं अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान कर, उपलब्ध रिकोर्ड, दस्तावेजों के आधार पर जेरअपील निर्णय दिनांक 03.06.2019 पारित किया है, जिसमें हम किसी प्रकार का विधिक एवं तथ्यात्मक दोष नहीं पाते हैं। लिहाजा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्यायोचित होने से किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुंजाइश नहीं है। परिणाम स्वरूप उपरोक्त विवेचन अनुसार अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन/बलहीन होने से खारिज की जाती हैं।

- 8 निर्णय आज दिनांक 15.04.2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।


(राजेंद्र सिंह शेखावत)
संभागीय आयुक्त
संभागाधीन कोटा जिले का
कोटा संभाग, कोटा